# कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
## आफिस कॉम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल—23, मध्यप्रदेश

क्रमांक / तक. / हाईटेक हब / 2018—19 / 2972 भोपाल, दिनांक 28-8-18

**संशोधित विज्ञप्ति**

**वर्ष 2018—19 में कस्टम हायरिंग के हाईटेक हब प्रारंभ करने हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना**

संचालनालय द्वारा वर्ष 2018—19 मे गन्ना हार्वेस्टर एवं उद्यानिकी फसलों के हाईटेक हब स्थापना हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना क्रमांक / तक. / हाईटेक हब / 2018—19 / 2928 दिनांक 25.08.2018 द्वारा जारी की गई है। जारी विज्ञप्ति में गन्ना हार्वेस्टर के हाईटेक हब स्थापना हेतु आवश्यक सामग्री के बिन्दु क्रमांक—4 में उल्लेखित ट्रेलर (न्यूनतम 8 टन क्षमता एवं हाइड्रोलिक सिस्टम सहित) में **संख्या—8 दर्शित** की गई है, जिसे संशोधित कर **संख्या—6 पढ़ा जावे**। अन्य सभी दिशा—निर्देश यथावत रहेंगे।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

क्रमांक / तक. / हाईटेक हब / 2018—19 / 2973 भोपाल, दिनांक 28-8-18

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु!

1. मुख्य परिचालन अधिकरी, एम.पी. ऑनलाईन लिमि. भोपाल। कृपया पोर्टल पर संबंधित कार्यक्रम के दिशा—निर्देशों के साथ प्रदर्शित करें।
2. विभागीय वेबसाइट हेतु।
3. संचालनालय नोटिस बोर्ड हेतु।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आफिस कॉम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल–23, मध्यप्रदेश

क्रमांक/तक./हाईटेक हब/2018–19/2128 (विस्तृत) भोपाल, दिनांक 25-8-18

**वर्ष 2018–19 में कस्टक हायरिंग के हाईटेक हब प्रारंभ करने हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना**

कृषकों को गन्ना हार्वेस्टर अथवा उद्यानिकी फसलों हेतु किराये पर कृषि यंत्र एवं मशीनें उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उद्देश्य से प्रदेश में कस्टम हायरिंग के **हाईटेक हब** स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तिगत आवेदकों/पंजीकृत कृषक समूह/ट्रैक्टर एवं यंत्र निर्माताओं के अधिकृत विकेताओं/उद्यमियों से **"ऑन–लाईन"** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उद्यानिकी फसलों के हाईटेक हब राशि रू. 40.00 लाख से अधिक एवं अधिकतम रू. 100.00 लाख तक की लागत के एवं गन्ना हार्वेस्टर के हब राशि रू. 100.00 लाख से अधिक एवं अधिकतम 130.00 लाख तक की लागत के स्थापित किये जा सकेंगे। हब खोले जाने हेतु आवश्यक मशीनों एवं कृषि यंत्रों के कय की लागत का 40 प्रतिशत का अनुदान बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक को दिया जायेगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा ऑन–लाईन आवेदन एम.पी. ऑनलाईन (mp online) के माध्यम से दिनांक 29 अगस्त 2018 से 12 सितम्बर 2018 तक ऑनलाईन भरे जा सकेंगे। आवेदन करने हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के आवेदक को धरोहर राशि रू. 5.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट जमा कराया जाना होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों हेतु यह राशि रू. 2.00 लाख होगी। बैंक ड्राफ्ट "संचालक कृषि अभियांत्रिकी भोपाल" के नाम पर बनवाया जायेगा तथा बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ लगायी जानी होगी। मूल बैंक ड्राफ्ट आवेदक को उसके प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के समय संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। योजनान्तर्गत आवेदक के प्रकरण के अन्तिम निराकरण उपरान्त धरोहर राशि उसे वापिस कर दी जायेगी। यह राशि एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन करने की पोर्टल फीस से पृथक होगी। एक आवेदक केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। **एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।**

**लक्ष्यः**–प्रदेश में 4 उद्यानिकी फसलों हेतु हाईटेक हब एवं 15 गन्ना हार्वेस्टर के हब की स्थापना वर्ष 2018–19 में की जाना है। यह लक्ष्य संपूर्ण प्रदेश हेतु है। आवश्यकता अनुसार संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा लक्ष्यों में परिवर्तन किया जा सकेगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी द्वारा प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जायेगा। उपरोक्तानुसार स्थापित किये जाने वाले गन्ना हार्वेस्टर के हब में नीचे दर्शायी मशीनें एवं कृषि यंत्र रखे जाने अनिवार्य होंगे। उद्यानिकी फसलों हेतु आवेदक स्वयं मशीनों का निर्धारण कर के प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगें।

**गन्ना हार्वेस्टर के हाईटेक हब हेतु अनिवार्य मशीनें**

| कमांक | मशीन का विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | गन्ना हार्वेस्टर (सेल्फ प्रोपेल्ड) | 1 |
| 2 | इन्फील्डर (हाईड्रोलिक सिस्टम के साथ न्यूनतम 4 टन क्षमता के) | 2 |
| 3 | ट्रेक्टर (न्यूनतम 50 एच.पी.) | 2 |
| 4 | ट्रेलर (न्यूनतम 8 टन क्षमता एवं हाईड्रोलिक सिस्टम सहित) | 8 |

**टीपः–** गन्ना हार्वेस्टर के साथ ली जाने वाली सहयोगी मशीनों की दर्शायी संख्या न्यूनतम है इसमें प्रोजेक्ट लागत को ध्यान में रखते हुये बढ़ाया जा सकता है।

**सामान्य शर्ते**

1. उद्यानिकी फसलों हेतु प्रस्तुत प्रोजेक्ट का परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा किया जाकर उपयुक्तता का निर्धारण किया जाएगा। तकनीकी समिति द्वारा उपयुक्त पाये गए प्रोजेक्ट पर ही क्रियान्यवय की अनुमति प्रदान की जाएगी। उद्यानिकी फसलों हेतु प्रोजेक्ट्स में आधुनिक एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, प्रबन्धन एवं हार्वेस्टिंग से संबंधित नवीन मशीनों को सम्मिलित करना अनिवार्य रहेगा।

2. गन्ना हार्वेस्टर के आवेदक जिस शुगरमिल के कार्यक्षेत्र में मशीन का संचालन करना चाहते हैं उनसे अनुबंध संपादित कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. निर्धारित किये गये लक्ष्यों से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनों के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण लॉटरी पद्धति से किया जायेगा। लॉटरी निकालने का कार्य संचालनालय में सम्पन्न होगा। आवश्यक होने पर लॉटरी निकालने की कार्यवाही दिनांक 17 सितम्बर 2018 को समय दोपहर 3.00 बजे से की जायेगी। कार्यवाही के दौरान इच्छुक आवेदक उपस्थित रह सकते हैं। लॉटरी से निर्धारित प्राथमिकता सूची में से लक्ष्य अनुसार आवेदकों के प्रकरण संबंधित संभागीय कृषि यंत्रियों को प्रेषित किये जायेंगे। आवेदकों को अपने प्रोजेक्ट संबंधित संभागीय कार्यालय में 25 **सितम्बर 2018** तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे तथा मूल अभिलेखों का मिलान कराना होगा, जिन्हे संभागीय कृषि यंत्री कार्यालयों द्वारा बैंकों को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जायेंगे।
4. केवल बैंक ऋण प्रकरणों पर ही योजनान्तर्गत अनुदान दिया जायेगा। **अनुदान केवल मशीनों एवं कृषि यंत्रों की लागत के आधार पर दिया जायेगा।**
5. क्रय की जाने वाली मशीनों/यंत्रों के निर्माताओं का पंजीयन संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में होना अनिवार्य रहेगा।
6. उपयुक्त पाये गये आवेदकों को बैंक से ऋण प्रकरण स्वीकृत होने पर अनुदान का भुगतान केडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) के रूप में किया जायेगा अर्थात् अनुदान राशि बैंक के रिजर्व फंड में रहेगी तथा ऋण राशि की समस्त किस्ते चुकाने के उपरान्त इस अनुदान राशि का समायोजन होगा। बैंक द्वारा अनुदान राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। लॉक इन पीरियड 4 वर्ष रहेगा।
7. बैंक से ऋण स्वीकृत होकर केन्द्र स्थापना उपरान्त भौतिक सत्यापन होने के बाद बैंक को अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
8. चयनित हितग्राहियों को हाईटेक हब की स्थापना **31 दिसम्बर 2018** तक की जाना होगी। इसके उपरान्त समय सीमा बढ़ाने का अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होगा।

पात्रता

1. व्यक्तिगत आवेदक/पंजीकृत कृषक समूह/ट्रैक्टर एवं यंत्र निर्माताओं के अधिकृत विक्रेता/उद्यमी आवेदन हेतु पात्र होंगे।
2. व्यक्तिगत श्रेणी के वही आवेदक पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी होकर प्रदेश में ही निवास कर रहे हों। कृषक समूह मध्यप्रदेश में ही पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
3. हाई–टेक हब की स्थापना हेतु **हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी**। कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित टेस्टेड यंत्रों पर ही अनुदान की पात्रता होगी। उद्यानिकी फसलों हेतु प्रस्तावित हाई–टेक हब की मशीनरी के टेस्टिंग के संबंध में आवश्यक होने पर पृथक से निर्णय लिया जा सकेगा।
4. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत व्यक्ति तथा शासकीय योजनाओं की सहायता से स्वरोजगार स्थापित किये आवेदक एवं पूर्व में इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त आवेदक अपने आवेदन नहीं कर सकेंगे।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
आफिस कॉम्पलेक्स (बी) ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल–23, मध्यप्रदेश

क्रमांक/तक./हाईटेक हब/2018–19/2928 (Short) भोपाल, दिनांक 25.8-18

**वर्ष 2018–19 में कस्टक हायरिंग के हाईटेक हब प्रारंभ करने हेतु आवेदन पत्रों के आमंत्रण की सूचना**

कृषकों को गन्ना हार्वेस्टर अथवा उद्यानिकी फसलों हेतु किराये पर कृषि यंत्र एवं मशीनें उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उद्देश्य से प्रदेश में कस्टम हायरिंग के **हाईटेक हब** स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तिगत आवेदकों/पंजीकृत कृषक समूह/ट्रैक्टर एवं यंत्र निर्माताओं के अधिकृत विकेताओं/उद्यमियों से "ऑन–लाईन" आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रदेश में 15 गन्ना हार्वेस्टर तथा 4 उद्यानिकी फसलों के कस्टम हायरिंग के हाई–टेक हब की स्थापना वर्ष 2018–19 में की जाना है। उद्यानिकी हाईटेक हब राशि रू. 40 लाख से अधिक अधिकतम 100 लाख तक की लागत के एवं गन्ना हार्वेस्टर के हब राशि रू. 100 लाख से अधिक अधिकतम 130 लाख तक की लागत के स्थापित किये जा सकेंगे। उपरोक्त लक्ष्य संपूर्ण प्रदेश हेतु हैं। लक्ष्य से अधिक प्राप्त आवेदनों की स्थिति में लॉटरी द्वारा वरीयता सूची तैयार की जायेगी। लॉटरी की कार्यवाही दिनांक **17 सितम्बर 2018** को दोपहर 3:00 बजे से संचालनालय में संपादित की जाएगी। हब खोले जाने हेतु आवश्यक मशीनों एवं यंत्रों के कय की लागत का 40 प्रतिशत का अनुदान बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में योजनान्तर्गत दिया जायेगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा ऑन–लाईन आवेदन एम.पी. ऑनलाइन (mp online) के माध्यम से दिनांक **29 अगस्त 2018** से **12 सितम्बर 2018** तक ऑनलाईन भरे जा सकेंगे। आवेदन करने हेतु प्रत्येक सामान्य श्रेणी के आवेदक को धरोहर राशि रू. 5.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट जमा कराया जाना होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों हेतु यह राशि रू. 2.00 लाख होगी। बैंक ड्राफ्ट "संचालक कृषि अभियांत्रिकी भोपाल" के नाम पर बनवाया जायेगा तथा बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ लगायी जानी होगी। मूल बैंक ड्राफ्ट आवेदक को उसके प्रमाण–पत्रों क सत्यापन के समय संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। योजनान्तर्गत आवेदक के प्रकरण के अन्तिम निराकरण उपरान्त धरोहर राशि उसे वापिस कर दी जायेगी। यह धरोहर राशि एम.पी. ऑनलाईन में आवेदन करने की पोर्टल फीस से पृथक होगी। एक आवेदक केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। **एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे**। योजना एवं आवेदन से संबंधित विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट www.mpdage.org पर देखा जा सकता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल